936

संख्या 935/XXX(2)/2013–3(15)2012

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड ।

कार्मिक अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 23 सितम्बर, 2013

विषयः– राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत स्वीकृत पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग के माध्यम से किये जाने वाले सेवायोजन में आरक्षण के प्राविधान लागू किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत स्वीकृत पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग के माध्यम से किये जाने वाले सेवायोजन में आरक्षण के प्राविधान लागू करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 426/XXX(2)/2012 दिनांक 25 मई 2012 एवं तद्विषयक शासनादेश संख्या 475/XXX(2)/2013–3(15)2012 दिनांक 5 अप्रैल, 2013 एवं शासनादेश संख्या 695/XXX(2)/2013–3(15)2012 दिनांक 18 जून, 2013 का कृपया सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

2– विभिन्न विभागों के अन्तर्गत सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर विभिन्न कारणों से समयान्तर्गत सेवा नियमावलियों में निहित प्राविधानों के अनुसार सीधी भर्ती की कार्यवाही सम्पन्न न होने अथवा मितव्ययिता के दृष्टिगत विभिन्न सेवा प्रदाता संस्थाओं से आउटसोर्सिंग द्वारा सेवायोजन की कार्यवाही की जा रही है। शासन के संज्ञान में पुनः यह तथ्य लाये गये हैं कि विभिन्न विभागों द्वारा अभी भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से किये जाने वाले सेवायोजन के सन्दर्भ में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश के प्राविधानों के अनुसार आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं किया जा रहा है।

3– इस सम्बन्ध में पुनः इस बात पर विशेष बल दिया जाता है कि कृपया उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश संख्या 426/XXX(2)/2012 दिनांक 25 मई 2012 के प्राविधानों के अनुसार आउटसोर्सिंग के माध्यम से ली जाने वाली सेवाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण प्रतिशत के अनुसार पदों की संख्या आगणित करते हुए आरक्षण अनुमन्य किये जाने के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

4– आपसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि आउट सोर्सिंग के माध्यम से किये जाने वाले सेवायोजन के सम्बन्ध में आरक्षण के प्राविधान लागू करने हेतु समस्त विभागों में विभागाध्यक्ष के स्तर पर एक

निगरानी समिति का गठन अनिवार्य रूप से कर दिया जाय, जिससे आरक्षण के प्राविधानों को लागू कर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। साथ ही जिन अधिकारियों द्वारा आरक्षण नियमों का अनुपालन नहीं किया जायेगा उनके विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव।

संख्या 935 (1)/XXX(2)/2013 3(15)2012 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
2. प्रबन्ध निदेशक, उपसुल, गढ़ी कैन्ट देहरादून।
3. प्रबन्ध निदेशक, हिल्ड्रान, 252, इंदिरानगर, देहरादून।
4. अधिशासी निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव।